



प्रशिक्षण और
क्षमता निर्माण



अनुसंधान
और अनुप्रयोग
विकास



नीति प्रयोजन
और समर्थन



प्रौद्योगिकी
अंतरण



शैक्षणिक
कार्यक्रम



अभिनव कौशल
और आजीविका



कौशल शिक्षा नहीं है: कौशल प्रवीण



3 कौशल शिक्षा नहीं है: कौशल प्रवीण

विषय-सूची

6

एनआईआरडीपीआर द्वारा पीजीडीआरडीएम के 15 वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित

7

पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला

8

एनआईआरडीपीआर ने चरण- II और III ग्राम पंचायत के एसएजीवाई पदाधिकारियों के लिए सामर्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

10

पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना तैयार करने और जीपीडीपी के साथ एकीकरण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण

11

एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों का राष्ट्रीय संगोष्ठी

12

सीएफआईई ने किया ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्यमों के वित्तपोषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

14

विकास और परिवर्तन पर भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थाओं का संघ का 19 वां वार्षिक सम्मेलन

15

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए आईसीटी अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

16

वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और ग्रामीण विकास पर आईईएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम

18

निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता से सुदृढ़ पीआरआई के माध्यम से भारत के बदलते स्वरूप पर कार्योन्मुख और मूल्यांकन कार्यक्रम

19

एनआईआरडीपीआर ने प्रायोजक बैंकों की ओर से आरसेटी के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के लिए सम्मलेन का आयोजन किया



कौशल शिक्षा नहीं है: कौशल प्रवीण

ईसा पूर्व पारंपरिक रूप से भारत में कौशल की एक नई अवधारणा नहीं है, देश की प्राचीन सभ्यताओं की पहचान को पीछे छोड़ने वाले कारीगर त्रुटिहीन कौशल के कारीगर थे। किसी भी साम्राज्य या शासक का स्वर्ण युग वह समय था जब कुशल कारीगरों ने राजघराने के संरक्षण का आनंद लिया था।

शानदार मंदिर जो देश में स्थित हैं, प्राचीन किलों और स्थानों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, नालंदा विश्वविद्यालय, भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण जो भारत और विदेशों के संग्रहालयों, मूर्तिकारों, चित्रों, मार्शल आर्ट, सभी में देखे जा सकते हैं, ये ग्रामीण भारत के कुशल कारीगरों की पीढ़ियों द्वारा पीछे छोड़े दिए गए एक सभ्य समाज के पदचिह्न हैं।

प्राचीन भारत में, कौशल को शिक्षता या एक विद्या संपन्न निष्णात की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान और उसके बाद, कौशल ने अपनी चमक खो दी और इसके साथ ही, कौशल पद्धति के रहस्य को भी खो या ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अपने प्रशासन का समर्थन करने के लिए व्हाइट कॉलर

श्रमिकों और क्लर्कों का निर्माण करना था, जिसने कौशल के महत्व को दरकिनार कर दिया व्हाइट और धीरे-धीरे संरक्षण की कमी के साथ, कौशल को महत्वहीन बना दिया।

औद्योगिक क्रांति के साथ साथ, व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर कार्यबल की अवधारणा अस्तित्व में आई। अधिकांश ब्लू कॉलर कार्यबल ने कारखाने में

और ग्रामीण भारत की तस्वीर पर भी प्रभाव शामिल है जो काफी हद तक वीरान दिख रही है। 1770 की ओलिवर गोल्डस्मिथ की कविता, "दि डेजर्टेड विलेज" तीन शताब्दियों बाद भी भली-भांति याद दिलाती है।

जिसके अनुसार, सदी के मोड़ पर आर्थिक उदारीकरण के साथ, वैश्विक उपदेश और वैश्विक आर्थिक उदारीकरण के साथ, वैश्विक उपदेश और वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ एक बड़ा संरेखण भारत में उभरने लगा। नए क्षेत्र और व्यापार उभरे और तदनुसार उभरते क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग भी उभरने लगी। इस संरेखण के परिणामों में से एक लक्ष्य "कौशल भारत" कहा जाता है।

“
राजकुमारों और प्रभुओं का विकास हो सकता है, या क्षीण हो सकता है; एक सांस उन्हें बना सकती है, जैसे कि एक सांस ने बनाया है; लेकिन साहसी किसान, उनके देश का गौरव, जब एक बार नष्ट करते हैं, तो कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती
- दि डेजर्टेड विलेज, ओलिवर गोल्डस्मिथ
”

समनुक्रम में काम किया जो तकनीकी प्रशिक्षण को महत्व देने लगे। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कार्यबल में ब्लू कॉलर कार्यबल का एक और विभाजन हुआ। इस सदी के उत्तरार्ध तक उत्तर औपनिवेशिक भारत में कौशल को औद्योगिक क्रांति के साथ जोड़ा जाता रहा। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने भारत में रोजगार के अवसरों और कार्यबल के परिदृश्य को बदल दिया। इसमें कृषि, ग्रामीण समुदायों द्वारा छोटे मोटे काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन

कौशल भारत किसे कहते हैं?

कौशल भारत 15 जुलाई, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है। कौशल भारत मुख्य रूप से कौशल को मुख्यधारा बनाने की मांग करता है, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल को एक आकर्षक कैरियर विकल्प बनाता है, जहाँ विश्व स्तर पर उचित कुशल कार्यबल एक समान जीवन स्तर, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। कौशल ऐसे संदर्भ में बहुत महत्व



चल रहा प्रशिक्षण सत्र

प्राप्त कर रहा है, जहां नियोजता दुखी हैं कि कॉलेज के स्नातक शिक्षित हैं, लेकिन अपेक्षित कौशल की कमी के कारण रोजगार योग्य नहीं है जिसे उद्योग तलाश रहा है।

ग्रामीण भारत के लिए कौशल भारत और अवसर किसलिये ?

जैसा कि नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक से पता लगाया जा सकता है, वर्ष 2022 तक विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर गहरी कौशल अंतराल का अनुमान कई कारकों के कारण है, जिसमें एक जीर्ण कुशल कार्यबल शामिल है जिसमें कुशल उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, उच्चतर शिक्षा में रोजगार क्षमता कौशल विकास की कमी होती है, स्कूल स्तर के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प चुनने और औपचारिक शिक्षा में लौटना तब मुश्किल होता है जब वे चुनते हैं। ग्रामीण भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को पुनः प्राप्त करके इस

कौशल कमी को संबोधित किया जा सकता है। बड़े अवसर भारत के लगभग 55 मिलियन ग्रामीण युवाओं के लिए अपने आप ही हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं 24 पहचान क्षेत्रों में से किसी में कुशल हो जाते हैं और स्वयं को सशक्त बनाते हैं।

"ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर उचित कार्यबल में बदलने" की दृष्टि से, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिये अन्य कौशल भारत पहल की तरह स्पष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य कौशल के माध्यम से भारत के ग्रामीण युवाओं के जीवन को बदलना और स्थायी आजीविका के लिए एक नई दिशा देना है। हालाँकि, मानक संचालन प्रक्रियाओं के कारण

डीडीयू-जीकेवाई अद्वितीय है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर जोर देता है।


इस कार्यक्रम के चार प्रमुख आधार हैं ग्रामीण युवाओं को एकजुट करना, परामर्श, प्रशिक्षण और नियुक्ति। एक बार एक निश्चित व्यापार में कुशल होने के लिए ग्रामीण युवाओं की रुचि को पहचानने और परामर्श के माध्यम से पहचाने जाने के बाद, कौशल प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अभ्यास शुरू होता है।

ग्रामीण युवाओं को बनाना

कौशल पारंपरिक लेखन और पठन, शिक्षण और प्रशिक्षण से अलग है। कौशल एक कला है जिसमें महारत हासिल की जा सकती है। कुशल ग्रामीण युवाओं के लिए सहानुभूति, सक्षमता और सशक्तिकरण योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तीन महीने की छोटी अवधि में व्यवहार परिवर्तन, आत्मविश्वास, संचार कौशल और रोजगार क्षमता कौशल लाना, न केवल उच्च स्तर की प्रतिबद्धता की मांग करता है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने की कला में भी महारत हासिल करता है। गुणता की संचालित आम भाषा कौशल ग्रामीण युवाओं को कार्यप्रणाली के बारे में बात करने के लिए पिछले कुछ समय से गायब है और लगभग 12 महीने पहले प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा एनआईआरडीपीआर में उसी की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी। इस जरूरत के परिणामस्वरूप, कौशल प्रशिक्षण पद्धति पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक "कौशल प्रवीण" टीओटी को डीडीयू-जीकेवाई प्रकृष्ट द्वारा कौशल और नौकरी केंद्र में परिकल्पित किया गया था।

कौशल प्रवीण: कौशल प्रशिक्षकों के लिए कौशल

डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षकों की कार्यशक्ति को बढ़ाने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने "कौशल प्रवीण" आरम्भ किया। यह ग्रामीण युवा कौशल की तकनीकों के साथ उद्योग उन्मुख कौशल प्रशिक्षण पद्धति को सम्मिलित करता है। यह स्कूलों और कॉलेजों में अपनाई जाने वाली पारंपरिक शिक्षण विधियों की प्रतिकृति के साथ सक्रिय रूप से दूर रहने की वकालत करता है जो ज्ञान-आधारित गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यह ग्रामीण युवाओं के मानस को समझने के लिए आवश्यकताओं का मास्लो पदानुक्रम का





शांत अध्ययन कक्षा



गतिविधि-आधारित कौशल वर्ग का अभ्यास करते हुए प्रशिक्षार्थी



उन प्रशिक्षकों द्वारा जिन्होंने एनआईआरडीपीआर के कौशल प्रवीण टीओटी में भाग लिया है उनके द्वारा डीडीयू-जीकेवाई छात्रों के लिए कौशल प्रशिक्षण सिद्धान्त कक्षा

महत्वपूर्ण दृष्टिकोण लेता है, सीखने की शैलियों को संबोधित करता है, स्कूल से बाहर होने के कारण और निष्क्रिय शिक्षा से लेकर किनेस्टेटिक, सक्रिय शिक्षा की पद्धतियों से गुजरने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है।

16 राज्यों के 2000 प्रशिक्षकों के लक्ष्य में से, 14 राज्यों के 600 प्रशिक्षकों ने पिछले 12 महीनों में कौशल प्रवीण में सहभाग किया है। प्रशिक्षकों का एक समुदाय बनाया गया है जो सक्रिय हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एनआईआरडीपीआर के मास्टर प्रशिक्षकों के साथ टेलीग्राम ऐप के माध्यम से जहां वे उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं और जवाब पाते हैं।

कौशल प्रवीण: डीडीयू-जीकेवाई की प्रशिक्षण गुणवत्ता को मापने के लिए एक डेटा आधारित दृष्टिकोण

कार्यक्रम में पूर्व और बाद के मूल्यांकन और तीन टीच-बैक हैं, जिनके दौरान प्रशिक्षकों को एनआईआरडीपीआर द्वारा 0-3 के मान पर निर्देश

का उपयोग करके उद्योग आधारित मापदंडों पर प्रशिक्षण गुणवत्ता को मापने के लिए सलाह दी जाती है। इससे देश भर के डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को आंकने और कौशल प्रशिक्षण पद्धति को मानकीकृत करने में मदद मिली है।

कौशल प्रवीण का प्रभाव

प्रशिक्षण और उसके बाद के 30-90 दिनों के भीतर, डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षकों, गुणवत्ता मार्गदर्शकों और प्रशिक्षण भागीदारों के केंद्र प्रबंधकों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। प्राप्त की गई कुछ प्रतिक्रियाएं शब्दशः नीचे दी गई हैं:

- इस प्रशिक्षण लेने के पश्चात हमारे प्रशिक्षकों ने छात्रों को व्यावहारिक तरीके से प्रशिक्षित करना सीखा है
- इस प्रशिक्षण सत्र के कारण हमारे प्रशिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम थे जिसने स्कूल पढ़ाई छोड़ देने की दर को कम करने में भारी बदलाव दिखाया
- छात्र पहले की तुलना में अधिक चर्चा करते हैं

- इस टीओटी को जारी रखने के लिए, हमारे प्रशिक्षक छात्रों के लिए कई गतिविधियों को आयोजित कर रहे हैं, जिससे छात्रों की भागीदारी में सुधार हुआ है
- ऐसी गतिविधियों के परिणामस्वरूप छात्र अधिक सक्रिय प्रतीत होते हैं
- गुणवत्ता की बेहतरी के लिए गतिविधियों और सत्रों की योजना बनाई जा रही है
- इस प्रशिक्षण के बाद, छात्र मूल्यांकन में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं
- पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी और प्रदर्शन में सुधार हुआ है

प्रथम विश्व में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जर्मनी के साथ सहयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके।

डॉ. संध्या गोपकुमारन
निदेशक, प्रशिक्षण, डीडीयू-जीकेवाई

फोटो साभार: **डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ,**
एनआईआरडीपीआर
आवरण पृष्ठ डिजाइन : **श्री वी.जी. भट्ट**

एनआईआरडीपीआर द्वारा पीजीडीआरडीएम के 15 वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित



दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, आईएएस, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, झारखंड सरकार, डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ. फ्रैंकलिन ललितखुमा, आईएएस, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशा.) एनआईआरडीपीआर और स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र के संकाय सदस्य के साथ ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 15 वें बैच के छात्र

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम के 15 वें बैच का दीक्षांत समारोह 12 जनवरी, 2019 को संस्थान के परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, आईएएस, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, झारखंड सरकार थे। एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी ने समारोह की अध्यक्षता की और आईएएस, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशा.) डॉ. फ्रैंकलिन ललितखुमा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, जिन्होंने छात्रों को दीक्षांत समारोह की शपथ दिलाई, उन्होंने पीजीडीआरडीएम के पूरे 15 वें बैच को बधाई दी। अपने संबोधन में, महानिदेशक ने एनआईआरडीपीआर के पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम के योगदान के बारे में समाज के लिए

और विशेष रूप से भारत के ग्रामीण लोगों का उल्लेख किया। एनआईआरडीपीआर से 750 से अधिक ग्रामीण विकास पेशेवर पास हुए और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा समेत देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए पेशेवर रूप से मौलिक तौर पर योगदान दे रहे हैं। संस्थान के छात्र वास्तव में दूरदराज के गांवों सहित जमीनी स्तर पर काम करते हैं। श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने छात्रों के प्रदर्शन और ग्रामीण समाज के उत्थान में उनकी भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रारंभिक टिप्पणी की। पास होने वाले छात्रों को अपनी सलाह में उन्होंने परिवर्तन प्रबंधक बनने के लिए जुनून विकसित करने पर जोर दिया।

श्री प्रवीण कुमार टोप्पो ने इस अवसर पर ग्रामीण विकास व्यवसायियों के संघ के निर्माण पर प्रकाश डाला जो ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए वास्तव

में मदद कर सकते हैं और देश के ग्रामीण विकास पहल को सक्रिय कर सकते हैं। स्नातक की उपाधि प्राप्त 42 छात्रों के बैच ने मुख्य अतिथि से डिप्लोमा प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक श्री अनुराग कुशावाहा को प्रदान किया गया, जबकि रजत और कांस्य पदक क्रमशः श्री शिवम खंडेलवाल और सुश्री के साहित्य को प्रदान किए गए।

डॉ. ए. देबप्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र, ने पीजीडीआरडीएम के 15 वें बैच का पाठ्यक्रम रिपोर्ट पेश करते हुए, कार्यक्रम के उद्देश्यों और बैच की मुख्य विशेषताओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि 99 प्रतिशत स्नातक छात्रों ने प्रतिष्ठित संगठनों में अच्छा स्थान प्राप्त किया है।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र, ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला



पेसा अधिनियम, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन पर श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रीय कार्यशाला में बोलते हुए

समता एवं सामाजिक विकास केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 5 जनवरी और 6 जनवरी, 2018 को अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (एबीवीकेए) के सहयोग से पेसा अधिनियम, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. डी. श्रीनिवासुलु, आईएएस (सेवानिवृत्त), अपर मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार ने डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और एबीवीकेए के अधिकारी श्री गिरीश जुबेर, श्री योगेश बापट की उपस्थिति में किया।

डॉ. श्रीनिवासुलु ने जोर दिया है कि देश में सभी राज्य सरकारों द्वारा पेसा अधिनियम को समग्रता से लागू किया जाना चाहिए। आदिवासी लोगों को आरक्षण के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। एबीवीकेए के एक अधिकारी श्री गिरीश कुबेर ने कहा है कि आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण पेसा अधिनियम को पूरी तरह से लागू करके किया जाना चाहिए।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में, पेसा लागू करने वाले सभी दस राज्यों, अर्थात्, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 सदस्यों ने भाग लिया है। प्रतिभागी विभिन्न व्यवसायों जैसे अधिवक्ताओं, अनुसंधान विद्वानों, एबीवीकेए पूर्णकालिक स्वयंसेवकों, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं, आदिवासी नेताओं, विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों, एनआईआरडीपीआर के प्रोफेसरों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आदिवासी कल्याण विभाग के सरकारी अधिकारियों में से थे।

कार्यशाला में चार विषयों पर विचार-विमर्श किया गया - प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्रथागत कानून, सामाजिक मुद्दे और विकास और प्रशासनिक व्यवस्था। प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित किया गया था और पेसा अधिनियम की प्रभावशीलता लाने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य मुद्दों की पहचान की गई है।

कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दों की पहचान की गई:

- आदिवासी के पारंपरिक तरीकों के शासन अनुसार पेसा गांवों की अधिसूचना
- सभी राज्य अधिनियमों को अनुसूचित क्षेत्रों में

पेसा अधिनियम के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए

- उन्हें वास्तविक शक्तियों का प्रत्यायोजन करके अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण
- लघु वनोपज, खनन और उत्पाद शुल्क, लघु जल निकायों के नियोजन और प्रबंधन और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अलगाव के संरक्षण से संबंधित मुद्दे; पेसा अधिनियम के विकेंद्रीकरण और पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से हल किया जाना है
- पेसा अधिनियम पर सभी पदाधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के संवेदीकरण से संबंधित मुद्दे

कार्यशाला के दूसरे दिन, एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री का स्वागत किया और कहा कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला ने आदिवासी विकास पर अगले कैलेंडर वर्ष के लिए, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में शासन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए बहुत सारे इनपुट दिए हैं। इसके अलावा, महानिदेशक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यशाला से उभरने

वाली रणनीतियों के विकास के लिए एक सामान्य समिति बनाई जाएगी और साथ ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एबीवीकेए और अन्य पदाधिकारियों को शामिल करके केंद्र सरकार को इसे प्रस्तुत करना होगा।

माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद एनआईआरडीपीआर का पहला दौरा किया और कार्यशाला में भाग लेते हुए एनआईआरडीपीआर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एनआईआरडीपीआर और एबीवीकेए दोनों को इस राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन के लिए

आदिवासी शासन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर अर्थात् पेसा अधिनियम और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बधाई दी। मंत्री ने ग्रामीण विकास के साथ जनजातीय विभाग के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण गतिविधियों को लेने का भी सुझाव दिया। अपने समापन भाषण में जनजातीय मामलों के माननीय मंत्री ने कहा कि पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां हैं और उन्होंने पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजस्व, वन, पंचायती राज और जनजातीय मामलों के विभागों के बीच समन्वय के विकास के ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि सभी को भारतीय

संविधान और राज्य के विधानमंडल का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक ढांचे के भीतर व्यक्तियों के अधिकार और हकों को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। कार्यशाला का समापन डॉ. टी. विजय कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया।

राष्ट्रीय कार्यशाला का समन्वयन डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष और डॉ. सत्य रंजन महाकुल, असिस्टेंट प्रोफेसर, समता एवं सामाजिक विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर ने चरण- II और III ग्राम पंचायत के एसएजीवाई पदाधिकारियों के लिए सामर्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया



डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

सामर्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम - योजना की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर चरण- II और चरण- III ग्राम पंचायतों के एसएजीवाई (सांसद आदर्श ग्राम योजना) के अधिकारियों का व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन 17-18, दिसंबर और 27-28, दिसंबर को एनआईआरडीपीआर के विकास सभागार में आयोजित किया गया। एनआईआरडीपीआर ने अब तक मई-जुलाई 2015 के दौरान 182 राज्य प्रशिक्षक दल और चरण- I ग्रा.प. के 653 प्रभारी अधिकारियों के लिए पूरे भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

इसके अलावा, अप्रैल-जून 2018 के दौरान प्रशिक्षकों / एसएनओ की 64 राज्य प्रशिक्षक दल और चरण- II और चरण- III ग्राम पंचायतों के 300 प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।

ग्राहक समूह में एसएजीवाई ग्रा.प., राज्य प्रशिक्षक दल और राज्य नोडल अधिकारियों के प्रभारी अधिकारी शामिल थे। 17 और 18 दिसंबर के दौरान, 11 राज्यों - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, सिक्किम और ओडिशा

से 94 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और 27 तथा 28 दिसंबर को 7 राज्यों - बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से 138 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर सीएचआरडी और कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक ने स्वागत भाषण दिया।

श्री रोहित कुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव, पीपीएम और आईटी, एमओआरडी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इस कार्यक्रम की

खासियत यह है कि इस कार्यक्रम के लिए अलग से कोई बजट नहीं है और यह ग्रामीण विकास , पंचायती राज के अन्य लाइन विभागों और अन्य मंत्रालयों के कार्यक्रम के साथ दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है, जिन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय अकेले प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करता है और यह ग्राम पंचायत के विकास के लिए एक बड़ी राशि है। उन्होंने आगे कहा कि "मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें निधियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उस ग्राम पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाने के लिए दृष्टिकोण की आवश्यकता है"। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों से मॉडल पंचायत बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया है।

श्री अमरजीत सिन्हा, आईएस, सचिव, एमओआरडी ने प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और विभिन्न राज्यों के प्रभारी अधिकारियों के अनुभवों और उपलब्धियों की बात सुनी। कई सफल कहानियों को प्रभारी अधिकारियों द्वारा साझा किया गया था। सफलता की कहानियों को सुनते हुए, सचिव, एमओआरडी ने ग्राम पंचायतों के लोगों और प्रभारी अधिकारियों की सराहना की कि वे गांवों को मॉडल गांवों में बदलने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। अपने स्वयं के क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर, उन्होंने साझा किया कि कई मामलों में क्षेत्र स्तर पर किया गया कार्य पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए कार्य से अधिक है। इसलिए, उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध किया कि समय पर सांझी पोर्टल पर पूरी की गई परियोजनाओं को अपडेट करें, ताकि यह सही जानकारी दे सके और दूसरों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। श्री संजीव कुमार, अपर सचिव, ग्रामीण विकास और श्रीमती रूप अवतार कौर भी चर्चा के दौरान उपस्थित थे और उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव और सलाह साझा किये।

डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सभी प्रतिभागियों, एनआईआरडीपीआर के संकाय, एमओआरडी के स्त्रोत व्यक्तियों और एनआईसी नई दिल्ली, और श्री रोहित कुमार को औपचारिक रूप से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ एमओआरडी के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा के बातचीत सत्र की सुविधा प्रदान की। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ

एसएजीवाई के बारे में चर्चा की। उन्होंने अपने सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से, सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ दिवस पर अपने भाषण से की। उन्होंने प्रधान मंत्री के भाषण में निहित कुछ महत्वपूर्ण संदेशों पर प्रकाश डाला ताकि प्रभारी अधिकारियों को जोश से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारियों को प्रधानमंत्री के भाषण पर सविस्तार से विचार करने का सुझाव दिया। अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के लक्ष्यों, मूल्यां, उद्देश्यों, दृष्टिकोण और रणनीतियों के बारे में विस्तार से विचार साझा किए।

एक ग्राम पंचायत की विभिन्न विकास गतिविधियों पर प्रभावली भरने का सामूहिक सत्र हुआ। इसके बाद डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर द्वारा मिशन अंत्योदय : नियोजन प्रक्रिया के लिए साक्ष्य आधारित रूपरेखा पर एक सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने चयनित मापदंडों पर प्राप्त अंकों के आधार पर जीपी को वर्गीकृत करने के लिए मिशन अंत्योदय (एमए) में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मापदंडों के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मिशन अंत्योदय में आसानी से उपलब्ध मापदंडों का उपयोग ग्राम पंचायत की विकास योजना में किया जा सकता है। उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारियों को मिशन अंत्योदय वेबसाइट पर उपलब्ध मिशन अंत्योदय के संकेतकों का उपयोग करने के प्रायोगिक अनुभव को साझा किया।

नियोजन के लिए भागीदारी उपकरण और तकनीकों पर सत्र के साथ कार्यक्रम के दूसरे भाग की शुरुआत डॉ. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर ने की। उन्होंने ग्रामीणों की भागीदारी के साथ गुणवत्ता डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न भागीदारी विधियों पर चर्चा की और कुछ सफलता की कहानियों को साझा किया। यह सत्र एनआईसी और एमओआरडी संसाधन व्यक्तियों द्वारा समन्वित किया गया था। सत्र को एसएजीवाई पोर्टल (www.saanjhi.gov.in) प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

डॉ. राजू, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, सीपीएमई, ने मिशन अंत्योदय के प्रदर्शन पर अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्षों को साझा करके दूसरे दिन के सत्र की शुरुआत की। इस सत्र ने प्रतिभागियों को उन

कारकों को समझने में मदद की जो एक गाँव को एक आदर्श गाँव में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एसएजीवाई प्रभाग, एमओआरडी से श्री रिजो और श्रीमती उमा ने संस्थागत व्यवस्था, निगरानी और रिपोर्टिंग, और पंचायत दर्पण को कैसे भरें, इस पर सत्र लिया।

डॉ. आर. सूर्यनारायण रेड्डी, सलाहकार, सीपीआर, एनआईआरडीपीआर, जो एसएजीवाई के साथ लम्बे समय से संपर्क में हैं, उन्होंने एसएजीवाई के वीडियो फॉर्म और वीडियो की तैयारी में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं पर एक सत्र का नेतृत्व किया। सत्र ने जीपीडीपी दस्तावेज़ के पुनरीक्षण की योजना के विचार के कार्य से सभी पहलुओं को कवर किया। उन्होंने एकीकृत जिला योजना के लिए मैनुअल की प्रमुख विशेषताओं, आईडीपी मैनुअल योजना आयोग और जमीनी स्तर योजना और रामचंद्रन समिति की रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की है।

अंत में, सभी प्रतिभागियों को एक समूह गतिविधि के लिए नौ समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह को एक ग्राम पंचायत की पहचान करने और मिशन अंत्योदय वेबसाइट से अंतर विश्लेषण लाने के लिए कहा गया था। समूहों को मौजूदा अंतराल विश्लेषण के आधार पर एसएजीवाई प्रारूप के अनुसार एक ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए कहा गया। समूह गतिविधि के दौरान सभी प्रतिभागी बहुत उत्साही थे और सभी ने इसके लिए योगदान दिया। प्रत्येक समूह को संसाधन व्यक्तियों की अध्यक्षता में एक सत्र में अपने वीडियो की प्रस्तुति बनाने के लिए कहा गया था।

समापन सत्र के दौरान, प्रतिभागियों को विभिन्न पहलुओं जैसे पाठ्यक्रम सामग्री, सत्र का अनुक्रमण, पाठ्यक्रम / पठन की सामग्री, भागीदारी विधि और तकनीक, प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि, ज्ञान एवं कौशल और व्यवहार परिवर्तन, बौद्धिक, लॉजिंग और मनोरंजन पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए एक मूल्यांकन फॉर्म भरने के लिए कहा गया। कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र के वितरण और धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। दोनों कार्यक्रमों का समन्वयन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर और डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा किया गया।

पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना तैयार करने और जीपीडीपी के साथ एकीकरण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण



पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना तैयार करने और जीपीडीपी के साथ

एकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी

एनआईआरडीपीआर ने पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना तैयार करने और जीपीडीपी के साथ एकीकरण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के समता एवं सामाजिक केंद्र ने 21 और 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के तहत ग्राम विकास योजना की तैयारी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्रीमती कल्याणी चड्ढा, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की उपस्थिति में सुश्री नीलम साहनी, आईएस, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन 21 जनवरी को किया गया। कार्यशाला में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम विकास योजना तैयार करने में पदाधिकारियों को सक्षम करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने की मांग की गई।

डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने कहा, भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(पीएमएजीवाई) का शुभारंभ किया। पीएमएजीवाई का उद्देश्य चयनित 1000 गांवों के 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले अनुसूचित जनजातियों के मॉडल गांवों में एकीकृत विकास सुनिश्चित करना होगा। और समय-समय पर इस योजना का विस्तार देश के अधिक गांवों को कवर करने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पीएमएजीवाई के दिशानिर्देशों और इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को संशोधित किया है। इस संबंध में, एनआईआरडीपीआर ने पीएमएजीवाई के तहत ग्रामीण विकास योजना तैयार करने और एसआईआरडी के सहयोग से पीएमएजीवाई के निष्पादन के संचालन और परिचालन के लिए जिम्मेदार राज्य स्तर के अधिकारियों/पदाधिकारियों के लिए जीपीडीपी के साथ एकीकरण पर दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों, एमआईएस, निगरानी योग्य संकेतकों, अंतर विश्लेषण की पहचान, और ग्राम विकास योजना की तैयारी का मूल्यांकन करना है और पीएमएजीवाई के निष्पादन में शामिल जिला स्तर के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों के आयोजन के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला को अंतिम रूप देना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएमएजीवाई के तहत

एनआईआरडीपीआर को पीएमएजीवाई के तहत पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक स्रोत सहायता संगठन के रूप में पहचाना गया था। एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी और मार्च, 2019 के दौरान भी योजनाबद्ध थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मिजोरम, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस राष्ट्रीय कार्यशाला में कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का समन्वय डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर तथा अध्यक्ष और डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्रोफेसर, समता एवं सामाजिक विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया था।

NIRDPR workshop on village development

SPECIAL CORRESPONDENT
HYDERABAD

The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR) is conducting a national workshop on 'Preparation of Village Development Plan under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)' on January 21 and 22. Nilam Sawhney, Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, Government of India, would be the chief guest, while W.R. Reddy, Director General

of NIRD, and Kalyani Chada, Joint Secretary, DoS & E, Government of India, would also speak.

T. Vijaya Kumar, head, Centre for Equity and Social Development, NIRDPR, who is also coordinating the workshop, said the focus of the workshop is on preparation of village development plan and integration with GPDP for State-level officers and officials responsible for guiding and steering the execution of PMAGY in collaboration with SIRDs.

मीडिया में कवरेंज

एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मलेन



राष्ट्रीय सम्मलेन में राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के सचिवों और अध्यक्षों के साथ

डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस,

उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ. फ्रैंकलिन ललितखुमा, रजिस्ट्रार, एनआईआरडीपीआर

वर्ष 2018-19 के आरडी एवं पीआर के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के अध्यक्षों की राष्ट्रीय संगोष्ठी दिनांक 17-18 जनवरी, 2019 को हैदराबाद के एनआईआरडीपीआर में आयोजित की गई। प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रदर्शन की समीक्षा करने, राज्यों, एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर की बेहतर पद्धतियों एवं नई पहलों को साझा करने और प्रशिक्षण संस्थानों के मुद्दों और बाधाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी से एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडीपीआर को आगामी वर्ष के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए विभिन्न कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिलती है। यह अवसर आधारभूत संरचना के विकास, संकाय की आवश्यकताओं, विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के संदर्भ में संस्थान निर्माण से संबंधित मुद्दों की जायजा लेने के लिए भी उपयोगी है।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019 के लिए संगोष्ठी की योजना बनाई गई। उद्घाटन सत्र के बाद एसआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदर्शनों की समीक्षा की गई। संस्थानों की बेहतर पद्धतियों को भी साझा किया गया। एनआईआरडीपीआर और भारत सरकार की हाल के कार्यों जैसे कि पोषण अभियान (पोषण मिशन) और संशोधित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) को भी साझा किया गया। आवश्यकता मूल्यांकन के भाग के रूप में, एमओआरडी के कार्यक्रम प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। सचिव (आरडी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगोष्ठी को संबोधित किया और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं रणनीतियों को साझा किया। यह प्रयास एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडीपीआर और

ईटीसी से अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए रहा है ताकि चल रहे परिदृश्य परिवर्तन और प्राथमिकताओं के संदर्भ में उनके संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा प्रदान किया जाए।

पूर्ण प्रस्तुतियों और बातचीत के अलावा, समूह चर्चा भी हुई जिसमें 2019-20 के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों और विषयों, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के तरीके, गुणात्मक मानव संसाधनों की वृद्धि, आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चों के लिए वित्त पोषण और एनआईआरडीपीआर की अपेक्षाओं पर समूहों में चर्चा की गई। समूह कार्यों के निष्कर्षों को पूर्ण अधिवेशन सत्र में प्रस्तुत किए गए और आगे बढ़ने के लिए कार्य बिंदुओं की पहचान की गई।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा स्वागत भाषण के साथ संगोष्ठी प्रारंभ हुई। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि एसआईआरडीपीआर की क्षमताओं को बढ़ाने की और उन्हें एनआईआरडीपीआर के साथ विस्तारित करने की आवश्यकता है। श्रीमती लीना जौहरी, संयुक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका), ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने प्रारंभिक भाषण में उल्लेख किया कि एक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है जो हमें वह हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करेगा जिसे हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआरडीपीआर को राज्य की आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहिए। एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी ने उद्घाटन भाषण में कहा कि एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर को उस संक्रमण बिंदु पर फिर से खोज करना है जहां शीर्ष स्तर से जमीनी स्तर तक अभिसरण पर जोर दिया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों को सभी विभागों / मंत्रालयों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए खुद को तैयार करना है।

श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव (आरडी) ने दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगोष्ठी को संबोधित किया। सचिव (आरडी) ने एसआईआरडीपीआर और एसआरएलएम के बीच अभिसरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एसआरएलएम, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के प्रशिक्षण आधारभूत संरचना का उपयोग कर सकते हैं, जबकि प्रशिक्षण संस्थानों एसआरएलएम के स्त्रोत व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आरजीएसए के तहत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण भारत में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए एसआईआरडी, ईटीसी और एनआईआरडीपीआर को समझाया। ईआर को 29 क्षेत्रों में अपनी भूमिका के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए और जीपी में इन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। आरजीएसए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एनजीओ को जोड़ने की, मल्टी-मीडिया का उपयोग करने की और परिचयात्मक दौरों को आयोजित करने की सुविधा प्रदान करता है। क्षमता निर्माण के हर माध्यम के साथ प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों सामग्रियों की पठन के लिए उत्सुक है। जीपी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी इस उत्साह को पकड़ना चाहिए। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि और एसएचजी गाँव / जीपी स्तर के संस्थानों जैसे स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आदि पर अधिक ध्यान देते हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आदि में सुधार होगा। इन संस्थानों को सम्भालने के लिए ईआरएस और एसएचजी को उन्मुख और प्रेरित किया जाना चाहिए।

अनुसंधान, प्रशिक्षण समन्वयन और नेटवर्किंग केंद्र (सीआरटीसीएन) द्वारा कार्यक्रम का संयोजन किया गया।

सीएफआईई ने ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्यमों के वित्तपोषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया



श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से चौथे) और डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएफआईई के अध्यक्ष (पहली पंक्ति, बाएं से पांचवें) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

वित्तीय समावेश एवं उद्यमशीलता केन्द्र (सीएफआईई) ने सीआईआरटीएबी, पुणे के साथ सहयोग में एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 7-11 जनवरी, 2019 तक "ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्यमों को वित्तपोषण" पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, उन्होंने कार्यक्रम का एक संक्षिप्त विवरण दिया, इसके उद्देश्यों को बताया और एक स्व-परिचय सत्र चलाया। कार्यक्रम में कुल 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें बांग्लादेश (1), नेपाल (13) और भारत (2) उपस्थित हुए। सीएफआईई के आंतरिक संकाय सदस्यों और चयनित अतिथि संकायों ने विषय विशेषज्ञों के रूप में कार्यक्रम में योगदान दिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का महत्व निर्विवाद है। यह अन्य सार्क देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है। भारत में एमएसएमई की कुल संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यम 90 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। इसलिए छोटे उद्यमों की प्रासंगिकता भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें जीडीपी की वृद्धि दर, निर्यात,

रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास शामिल हैं। तदनुसार, इन छोटे उद्यमों के वित्तपोषण के लिए सरकार, बैंकों और सामाजिक संगठनों से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में, विकासशील देशों को सूक्ष्म / लघु उद्यमों को स्थापित करने में लाभ वंचितों की मदद करते हुए गरीबी को कम करने के लिए छोटे उद्यमों के वित्तपोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण वित्त प्रदान करने से आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है, जिससे वित्तीय समावेशन भी हो सकता है। हालांकि, आजीविका की सततता सुनिश्चित करने के लिए, वित्त की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के अलावा, युवाओं को कौशल और उद्यमिता विकास प्रदान करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य थे:

- भारत में ग्रामीण विकास एवं नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों के लिए छोटे उद्यमों के वित्तपोषण पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना;
- प्रतिभागियों को उनकी प्रबंधकीय चुनौतियों और व्यावसायिक अवसरों के संदर्भ में ग्रामीण विकास में वित्तीय संस्थानों की भूमिका की सराहना करने में मदद करना; तथा
- प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास के लिए छोटे

उद्यमों के वित्तपोषण के दौरान भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही बेहतर प्रवृत्तियों को समझने में सक्षम बनाना।

कार्यक्रम के विषय थे:

- ग्रामीण विकास के लिए छोटे उद्यमों का योगदान
- ग्रामीण विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों का वित्तपोषण
- नवीकरणीय ऊर्जा: वर्तमान में विकास और भविष्य की दिशाएं
- सतत आजीविका और समग्र विकास को बढ़ावा देने में एफपीओ की भूमिका
- ग्रामीण उद्यमिता और मितव्ययी नवाचार
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण
- ग्रामीण विकास में सुशासन की भूमिका
- ग्रामीण विकास में भू-सूचना का अनुप्रयोग
- ग्रामीण भारत के लिए कौशल
- ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय शासन
- सहकारी व्यवसाय मॉडल और ग्रामीण विकास

क्रियाविधि

कार्यक्रम के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों, प्रतिभागियों की अपेक्षाएं और अवधि को ध्यान में

रखते हुए, कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण विधियों की एक श्रृंखला का उपयोग किया गया।

वे हैं:

- व्याख्यान और पारस्परिक सत्र (पीपीटी)
- विभिन्न विषयों पर समूह चर्चा / मामला अध्ययन
- वीडियो क्लिप और परिचर्चा
- व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों / अभ्यास
- पुनर्कथन सत्र
- क्षेत्र दौरा

क्षेत्र दौरा

व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने और कक्षा में किए गए अध्ययन को सुदृढ़ करने के लिए, निम्नलिखित क्षेत्र दौरों का आयोजन किया गया:

1. एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क

प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर परिसर में स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) ले जाया गया। डॉ. रमेश सक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अभिनव एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। डॉ. रमेश ने उन्हें आरटीपी के बारे में समझाते हुए बड़े पैमाने पर मितव्ययी नवाचारों को बढ़ावा देने और इकाई स्थापित करने में ग्रामीण उद्यमियों को मदद करने, कुशल बनाने और स्थिरता प्राप्त करने में आरटीपी के महत्व को बताया। उन्होंने, जीवन के सभी पहलुओं जैसे कि क्षमता निर्माण, ग्रामीण रोजगार सृजन और आजीविका आदि में ग्रामीण लोगों के उन्नयन के लिए आरटीपी द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर चर्चा की। बाद में, प्रतिभागियों ने व्यावहारिक पहलुओं को जानने के लिए विभिन्न स्टालों का दौरा किया, जिसमें पर्यावरण अनुकूल बिल्लिंग ब्लॉक्स की तैयारी, वर्मिकम्पोस्ट यूनिट, वेस्ट पेपर रीसाइक्लिंग यूनिट आदि सम्मिलित रहे।

2. बाल विकास, गंगादेवीपल्ली, वरंगल जिला

इसके बाद प्रतिभागियों को वरंगल जिले के

गीसुगोंडा मंडल में स्थित एक गाँव गंगादेवीपल्ली ले जाया गया। एक आदर्श गाँव के रूप में गंगादेवीपल्ली को बाला विकास द्वारा गोद लिया गया। एसओपीएआर - बाला विकास एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1977 में बाला थेरेसा और आंद्रे गिंगरास द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरीब समुदायों की विकास प्रक्रिया को समर्थन और मजबूत करना रहा है। वे मुख्य रूप से समुदाय विकास, क्षमता निर्माण और उद्यम विकास में शामिल हैं। वे समुदाय प्रेरित विकास (सीडीडी) पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

9 जनवरी को, श्री शौरी रेड्डी, कार्यकारी निदेशक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और संगठन, इसका मूल, इनके द्वारा की गई गतिविधियाँ और प्राप्त प्रगतिके बारे में प्रस्तुति दी।

प्रतिभागियों ने एसओपीएआर के उपाध्यक्ष आंद्रे बोरासा जो भारत के दौरे पर आये थे उनसे भी मिले। बाल विकास के सामुदायिक विकास के तहत पानी और स्वच्छता मुख्य गतिविधियों में से एक है। शाम के समय, प्रतिभागियों को शहर में स्थिति उनकी शुद्ध पानी प्रणालियों के आउटलेट पर ले जाया गया। आउटलेट में शुद्धिकरण इकाई थी जिसे मशीनों से जोड़ा गया था ताकि एनी टाईम वाटर (एटीडब्ल्यू) कार्ड धारक को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसके दाम को बहुत कम रखा गया यानि 3.00 रूपए प्रति 20 लीटर ताकि शुद्ध पानी मुफ्त रूप से उपलब्ध हो लेकिन बर्बाद न हो।

10 जनवरी को उनके संकाय द्वारा जैविक खेती, मॉडल गाँव गंगादेवपल्ली पर प्रस्तुतिकरण दी गई। प्रतिभागियों ने बाला विकास के संस्थापक श्रीमती बाला थेरेसा आंगले से भी मिले। तदनंतर, प्रतिभागियों को उस क्षेत्र में ले जाया गया, जहाँ उन्हें जैविक खाद, कीटनाशक आदि बनाने के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने जैविक खेती से जुड़े ग्रामीणों के साथ बातचीत भी की। प्रतिभागियों को एक बेकरी इकाई में भी ले जाया गया जो उनके द्वारा समर्थित थी। बेकरी यूनिट सफलतापूर्वक चल रही थी। प्रतिभागियों ने लघु व्यवसाय इकाइयों को निरंतर बनाए रखने के व्यावहारिक पहलुओं के

बारे में और अधिक जानने के लिए उद्यमियों के साथ बातचीत की।

गंगादेवीपल्ली में शराब निषेध समिति, स्वास्थ्य समिति, पेयजल प्रबंधन समिति, आदि जैसे 13 समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति में 11 से 25 सदस्य होते हैं। गाँव में सभी के हित के लिए ये समितियाँ ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। प्रत्येक घर का एक व्यक्ति कम से कम एक समिति का सदस्य बनना चाहिए। कुछ लोग हैं जो एक से अधिक समिति के सदस्य हैं। हालांकि, विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित ग्रामीण भी विकास गतिविधियों के मामले में एकजुट हो जाते हैं। ग्रामीण अपने सभी विवादों को ग्राम स्तर के भीतर ही हल कर लेते हैं। मॉडल गाँव के सफल कामकाज के परिणामस्वरूप सुचारू रूप से इसका कार्य चल रही है और यह सुनिश्चित किया है कि पिछले 14 वर्षों में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

मॉडल गाँव में कार्यों को समझने के लिए प्रतिभागी अत्यंत उत्सुक थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में इस तरह के मॉडल को लागू करने की इच्छा व्यक्त की।

फीडबैक और मूल्यांकन

प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार कार्यक्रम सफल रहा है। सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया कि प्रशिक्षण कई मायनों में उपयोगी रहा है। कई विचारों को प्राप्त करने में वे सक्षम हुए हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उनके शहर में लागू करने का प्रयास किया जा सकता है, विशेष रूप से छोटे उद्यमों को वित्तपोषण करने में और उन्हें निरंतर बनाने के बारे में। प्रतिभागी क्षेत्र दौरे से अत्यंत खुश थे, जिससे उन्हें छोटे उद्यमों से निपटने में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली है, गंगादेवीपल्ली ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का पालन करके एक आदर्श गाँव का निर्माण करके चीजों को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है के बारे में सीखने को मिला है।

कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, सीएफआईई, एनआईआरडीपीआर और श्री जी. उमेशन पिप्लर्ड, सलाहकार, सीएफआईई द्वारा किया गया था

विकास एवं परिवर्तन पर भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थाओं का संघ का 19 वां वार्षिक सम्मेलन



भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थाओं का संघ के 19 वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए प्रोफेसर आर. राधाकृष्ण, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थाओं का संघ एवं प्रोफेसर योगिंदर के अलघ, कुलसचिव, केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय और डॉ. डब्ल्यू. आर रेड्डी, आईएस, महानिदेशक अवलोकन करते हुए

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 11-13 जनवरी 2019 के दौरान आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र (सीईएसएस), के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकास एवं परिवर्तन विषय पर भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थाओं का संघ के 19 वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया।

विकास अवधारणा की जटिलता और इनसे होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, विकास और समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इसके प्रभाव की प्रक्रिया को समझना अनिवार्य है। चूंकि विकास के मुद्दे उनके विशिष्ट संदर्भ के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं, इसलिए क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी नीतिगत विवरण भी प्रासंगिक होते हैं। हालांकि, आर्थिक वैश्वीकरण और अन्य चीजों के कारण कई क्षेत्रों में प्रासंगिक मतभेदों का महत्व कम हो गया है और कई बार चुनौती दी गई है। साथ ही साथ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से 'सहस्राब्दी और सतत विकास' लक्ष्यों के रूप में विकास के एजेंडे पर वैश्विक सहमति बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, इस सम्मेलन का उद्देश्य विकास और सामाजिक परिवर्तन के पुराने और नए प्रश्नों को फिर से देखना रहा है। निम्नलिखित विषयों पर पत्र आमंत्रित किए गए: विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, मानव विकास के पहलू, विकास

और सामाजिक बहिष्कार / समावेश, राज्य नीतियां, सार्वजनिक वित्त और विकास, कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास, विकास, राजनीति और प्रतियोगिताएं; प्रवास, सामाजिक समावेश की व्यापक अवधारणा के तहत विकास और परिवर्तन।

विभिन्न संस्थानों और राज्यों से आए प्रतिभागियों से सम्मेलन को काफी प्रशंसा प्राप्त हुई। सम्मेलन के तीन दिनों के दौरान शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, और नागरिक समाज संगठनों से मौखिक प्रस्तुति के लिए लगभग 123 पत्रों का चयन किया गया और उन्हें आमंत्रित किया गया।

प्रोफेसर एस. गलाब, निदेशक, सीईएसएस, हैदराबाद ने स्वागत भाषण में समय-समय पर इस सम्मेलन के आयोजन के महत्व और विकास की आवश्यकताओं को समझने के लिए शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के लिए किस तरह इसके परिणाम उपयोगी होती है के बारे में बताया।

डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद, ने विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग और अभिसरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने यह

भी उल्लेख किया कि युवाओं, बच्चों, लिंग और कमजोर लोगों के मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर शोध किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी को कम करने की तुलना में समाज का सामाजिक समावेश / समग्र विकास अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास पर चर्चा करते हुए, उन्होंने मानव जाति समुदाय के बीच असमानता को समझने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, चूंकि इसके बारे में प्रोफेसर युवल नेह हरारी की नवीनतम पुस्तक में वर्णित किया गया है।

प्रोफेसर के.एल. कृष्णा, अध्यक्ष, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, चेन्नई ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास परिदृश्य और इसकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से बात की।

प्रोफेसर योगिंदर के अलघ, कुलसचिव, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार एवं सम्मेलन के अध्यक्ष, ने विचारधारा और अर्थशास्त्र के बीच संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कुछ कारकों का वर्णन किया जो नीतिगत विचारों को निर्धारित करते हैं और उन विवादों पर भी चर्चा की जो विभिन्न नियोजन अवधि के दौरान भारतीय नीतियों से आबद्ध थे। उन्होंने भारत के विकास की उच्च दर और गैर नवीकरणीय ऊर्जा

की भावी भूमिका पर चर्चा करके अपनी बात को संक्षेप में बताया। उन्होंने यह कहकर अपनी बात को समाप्त किया कि भारत के लिए वास्तविक मुद्दा वैश्विक महिमा हासिल करना, लिंग, जाति या धार्मिक रेखाओं के पार विकास है, अन्यथा बाजार कार्य नहीं कर सकते। प्रोफेसर आर. राधाकृष्ण, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थाओं का संघ (आईएसएसआई) एवं अध्यक्ष, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद ने सत्र की अध्यक्षता की।

देश भर के प्रतिष्ठित अकादमिक विद्वानों को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रोफेसर एस.आर. हासिम, अध्यक्ष, मानव विकास संस्थान (आईएचडी), दिल्ली ने 'भारतीय अर्थव्यवस्था के सत्तर वर्ष: विकास और चुनौतियाँ' विषय पर बात की और प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका, समाजशास्त्र के प्रोफेसर, सामाजिक प्रणाली अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने 'सामाजिक परिवर्तन: मूविंग बियॉन्ड द हेगिमोनिक नरेटिव्स' पर मुख्य भाषण दिया। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर सुदीप्तो मुंडले, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति

संस्थान (एनआईपीएफपी) ने की। प्रोफेसर एस. महेन्द्र देव, निदेशक एवं उपकुलसचिव, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई ने समग्र विकास हेतु कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन पर प्रोफेसर वी.एस. व्यास स्मारक व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रोफेसर डी. नरसिम्हा रेड्डी, अतिथि वक्ता, मानव विकास संस्थान ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री एस.एम. विजयानंद, आईएस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य सचिव, केरल सरकार और पूर्व महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने पंचायती राज संस्थाओं पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया और डॉ. टी. विजय कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त), सलाहकार (जेडबीएनएफ), सह-अध्यक्ष, रैतु साधिकार संस्थान (आरवाईएसएस), आंध्र प्रदेश सरकार ने सतत कृषि विकास पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया। दोपहर के सत्र में, विभिन्न तकनीकी सत्रों के तहत शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।

केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय राज्य अधिनियम के प्रबंधन के विषय पर पूर्ण सत्र के साथ सम्मेलन का दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। चयनित केंद्रीय, राज्य एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के

कुलसचिव पैनल सदस्य थे। तदनंतर, विभिन्न तकनीकी सत्रों में चयनित शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।

सम्मेलन के तीसरे दिन, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक स्मारक व्याख्यान प्रस्तुत किया। अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने भारत के समग्र विकास के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विजन और मिशन का उल्लेख किया। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा द्वारा समापण भाषण और प्रोफेसर अलख एन शर्मा, सदस्य सचिव, आईएसएसआई द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन केन्द्र एवं डॉ. आर रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रोफेसर वेंकट रेड्डी काटा, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद सह-स्थानीय आयोजक थे।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए आईसीटी अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



श्री जी.वी. सत्य नारायण, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र के नेतृत्व में राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, हैदराबाद के दौरे में प्रतिभागी

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी), एनआईआरडीपीआर ने संस्थान में 7 से 11 जनवरी, 2019 तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए आईसीटी अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित किया। 11 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से ग्रामीण विकास, पंचायती राज,

जिला परिषद / जिला पंचायत (जिप), डीआरडीए, एसआईआरडी/ ईटीसी, ग्रामीण आवास, बागवानी, वन और पर्यावरण, आरएमएसए (शिक्षा), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

(एसआरएलएम) और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले पैंतीस अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जेड पी / डीआरडीए, ग्रामीण आवास, एसआईआरडी/ ईटीसी, और लाइन विभागों के कार्यकर्ताओं को आईसीटी की क्षमता और ई-गवर्नेंस में इसका अनुप्रयोग, डिजिटल इंडिया, भू-संसूचना, निगरानी और मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण, आईईसी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए परियोजना प्रबंधन, सूचना प्रणाली के विकास में ई-लर्निंग और कौशल प्रदान करने में सुग्राही बनाना था।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सूचना प्रणाली विकास, भू-संसूचना, आईईसी, परियोजना प्रबंधन, पंचायत उद्यम सूट (पीईएस), पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली), ई-ऑफिस और ग्रामीण आवास में नवीन तकनीकों के अलावा नागरिक केन्द्रिक सेवाएं, एनएसएपी, एमजीएनआरईजीएस, पीएमएवाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस हेतु आईसीटी अनुप्रयोग को कार्यक्रम के भाग के रूप में चर्चा की गई।

मुद्दों, चुनौतियों, नवीन प्रौद्योगिकियों और ग्रामीण आवास के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय निर्माण

अकादमी, हैदराबाद के लिए क्षेत्र दौरे का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) को भी ले जाया गया, जहाँ उन्हें आजीविका सृजन के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यों के प्रदर्शन के साथ ग्रामीण आवास में नवीन और उपयुक्त तकनीकों से परिचित कराया गया। प्रतिभागियों ने यह अवसर प्रदान करने के लिए एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी का आभार व्यक्त किया।

श्री जी.वी. सत्य नारायण, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और संयोजन किया गया।

वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और ग्रामीण विकास पर आईईएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम



वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता एवं ग्रामीण विकास पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम में सहभागी आईईएस अधिकारियों के साथ डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आईएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष, सीएफआईई

वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और ग्रामीण विकास शीर्षक प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का आयोजन दिनांक 24-29 दिसंबर, 2018 के दौरान एनआईआरडीपीआर परिसर, हैदराबाद में किया गया। पांच-दिवसीय एमडीपी प्रतिभागियों (आईईएस अधिकारियों) की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो ग्रामीण उद्यमियों की समस्याओं की सराहना करते हैं और सौ प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम के बारे में जानकारी देते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के 14 आईईएस परिवीक्षाधीन अधिकारी भाग लिए।

वित्तीय समावेशन को वैश्विक रूप से सतत आर्थिक विकास के लिए एक प्रभावी साधन और विकास और समाज कल्याण एवं विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है जो भारत सहित कई देशों में एक बुनियादी प्राथमिकता बन गई है। हालांकि, भारत को वित्तीय समावेशन के स्वीकार्य स्तर तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 68.84 प्रतिशत लोग ग्रामीण भारत में रह रहे हैं, जिनकी विशेषता बेरोजगारी और खराब आधारभूत संरचना सुविधा होना है। ग्रामीण युवाओं के लाभ के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू करने से इन मुद्दों का समाधान हो सकता है। ग्रामीण उद्यमशीलता

व्यवसाय, उद्योग और कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में हो सकती है, और आर्थिक विकास के लिए एक संभावित कारक हो सकती है। हालांकि, ग्रामीण उद्यमियों को अशिक्षा, विफलता / जोखिम, वित्त की कमी और शहरी समकक्षों से प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

स्व-परिचयात्मक सत्र के बाद, डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। यह अवसर प्रदान करने के लिए महानिदेशक ने मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर के 'ब्रांड एंबेसडर' के रूप में अधिकारियों का स्वागत

किया। पांच दिवसीय कार्यक्रम-संरचना पर अपने विचार को साझा करते हुए, उन्होंने सीएफआईई से - (i) पंचायती राज प्रणाली - स्थानीय शासन के लिए विकेंद्रीकृत योजना; और (ii) सामाजिक लेखापरीक्षा जिसे केंद्र द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है पर सत्रों को जोड़ने की संभावना को देखने को कहा।

डेटाबेस निर्माण के मार्ग पर आने वाले मुद्दों पर बात करते हुए, महानिदेशक ने कहा कि इस समय पर उपलब्ध डेटा की पर्याप्तता, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता के रूप में हार्ड और गुणात्मक डेटा बनाने की आवश्यकता एक बड़ा प्रश्न चिह्न बन गया है। विद्यमान स्थिति को देखते हुए, अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के डेटाबेस को मजबूत करने के लिए उन्हें प्रमाणीकृत डेटासेट बनाने प्रयास करना चाहिए, ताकि नीति निर्माण और वकालत के लिए बेहतर शोध कार्य किया जा सके।

महानिदेशक ने कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए एनआईआरडीपीआर कैसे काम कर रहा है, एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने महसूस किया कि क्षेत्र आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलने के लिए एक प्रभावी अनुवाद की आवश्यकता है जैसे -

- मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से सही-आधारित रोजगार सक्षम करना, जहाँ सरकार प्रतिवर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए के अलावा अन्य योजनाओं जैसे कि आरईजीपी, जेआरवाई के लिए भोजन आदि पर मंजूरी देती है।
- स्वच्छता और सफाई, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल की व्यवस्था, माताओं को बच्चे के पालन-पोषण पर शिक्षा के संदर्भ में ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण।
- एसएचजी, सहकारिता, एसएचजी-संघ, ग्राम संगठन और सूक्ष्म वित्त आदि का प्रभावी उपयोग द्वारा महिला सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक पूंजी का निर्माण।
- आरएसईटीआई योजनाओं जैसे पीएमकेवीवाई, मुदरा, डीडीयू-जीकेवाई, आदि द्वारा कौशल निर्माण, जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सशक्त बनाती हैं।
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता - वृद्धों, विधवाओं और निराश्रितों एवं दिव्यांग (शारीरिक रूप से विकलांग) श्रेणियों के लिए पेंशन के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण।

- वित्तीय समावेश: जोखिम शमन टूल के रूप में बीमा प्रस्तुत करना।

सब की योजना - सब का विकास

महानिदेशक ने महसूस किया कि विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हुए उपरोक्त योजनाओं से संबंधित कार्यों को करने के लिए पंचायती राज/ स्थानीय शासन संस्थानों जैसे संस्थागत सहायता या नेटवर्क तंत्र (पंचायतों का आदर्श आकार: 3000-5000 लोग) का होना आवश्यक है। ऐसा करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सहभागी दृष्टिकोण से ही कार्य योजना की तैयारी होती है, जो 'सब की योजना - सब का विकास' अभियान के तहत एक 'गेम चेंजर' साबित होता है। इसके अलावा, महानिदेशक ने इच्छा जताई कि अधिकारियों को आईटी और जीआईएस अनुप्रयोगों का उपयोग शस्त्र के रूप में प्रभावी रूप से करना चाहिए जो उन्हें गति और सटीकता के साथ काम करने में सक्षम बनाता है।

इसके बाद, डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण देकर कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया।

एमडीपी का कवरेज

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया जैसे (i) ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय समावेश; (ii) ग्रामीण विकास कार्यक्रम - एक अवलोकन; (iii) ग्रामीण विकास के लिए जीआईएस अनुप्रयोग; (iv) ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल बैंकिंग और पीएफएमएस की भूमिका; (v) स्थानीय शासन में विकेंद्रीकृत योजना की भूमिका; (vi) एनआरएलएम: वित्तीय समावेशन के लिए ग्रामीण आजीविका निर्माण; (vii) सामाजिक लेखापरीक्षा; (viii) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) के लिए मितव्ययी नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता दौरा; (ix) मूल्य श्रृंखला वित्त के विशेष संदर्भ के साथ कृषि वित्त में नवाचार; (x) फूलों, फलों और सब्जियों के विशेष संदर्भ के साथ भारतीय कृषि का निर्यात क्षमता; (xi) ग्रामीण विकास में सामूहिक (एफपीओ / सहकारिता) की भूमिका, (xii) ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण; और (xiii) भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन।

विशेष सत्र

इसके अलावा, डॉ. के.के. त्रिपाठी, द्वारा आईईएस अधिकारियों के आईईएस कैरियर: ग्रामीण विकास के संदर्भ में अवसर और चुनौतियां; पर एक विशेष परिचयात्मक सत्र (कक्षा) का आयोजन किया गया और प्रबंधन एवं फर्म उत्पादकता: भारतीय

औद्योगिक रणनीति में एक मिसिंग तत्व पर डॉ. पॉल कट्टुमन, एसोसिएट प्रोफेसर, जड्ज स्कूल ऑफ बिजनेस, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एप्लाइड अर्थशास्त्र विभाग एवं डरहम अर्थशास्त्र में व्याख्याता द्वारा एक विशेष सत्र (वीडियो कांफ्रेंस) की आयोजन की गई।

स्त्रोत व्यक्ति / संकाय

वित्तीय समावेश, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म वित्त, स्व-सहायता समूह (एसएचजी), आजीविका संवर्धन, ग्रा.वि में भू-संसूचना का अनुप्रयोग, पंचायती राज, डिजिटल बैंकिंग, एनआरएलएम, सामाजिक लेखापरीक्षा, ग्रामीण उद्यमशीलता, कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त, एफपीओ आदि - के क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता के साथ सीएफआईई और एनआईआरडीपीआर के आंतरिक संकाय सदस्य और चयनित अतिथि संकायों ने विषय विशेषज्ञ सह अभ्यासियों के रूप में के रूप में कार्यक्रम में भाग लिए और इसकी सफलता में योगदान दिए।

क्रियाविधि

प्रतिभागियों के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों, अवधि एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विधिवत रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया।

- पीपीटी की सहायता से व्याख्यान और परिचयात्मक सत्र;
- स्काइप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग;
- वीडियो क्लिप, लघु फिल्मों और चर्चा;
- हरदिन नियमित सत्र प्रारंभ होने से पहले प्रतिभागियों द्वारा चुनिंदा विषयों (केसीसी, एफपीओ, एमएसएमई, प्रशिक्षण पद्धति आदि) पर री-कैप सत्र और संक्षिप्त चर्चा;
- आरटीपी, मुल्कानूर सहकारिता ग्रामीण बैंक और मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, वरंगल (शहरी) और मुल्कानूर महिला सहकारी डायरी वरंगल (शहरी) के लिए क्षेत्र / परिचयात्मक दौरा।

व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने और कक्षा में किए गए अध्ययनों को सुदृढ़ करने के लिए, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर एवं मुल्कानूर गांव के लिए क्षेत्र दौरे आयोजित किए गए।

फीडबैक और मूल्यांकन

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया, जो कि कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, को अनुकूलित प्रारूप का उपयोग करके प्राप्त किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में उत्कृष्ट समग्र प्रतिक्रिया दी है।

डॉ. एम. श्रीकांत द्वारा कार्यक्रम का संयोजन किया गया।

निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता से सुदृढ पीआरआई के माध्यम से भारत के बदलते स्वरूप पर कार्योन्मुख और मूल्यांकन कार्यक्रम



डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक (बाएं से तीसरे), सहायक प्रोफेसर,
(सीपीआर), एनआईआरडीपीआर के साथ कार्यक्रम के प्रतिभागीगण

पंचायती राज केन्द्र (सीपीआर), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने दिनांक 21-24 जनवरी, 2019 के दौरान श्रीनगर के आईएमपीएआरडी में मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों (एमआरपी) का राज्य-स्तरीय अभिमुखीकरण और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया। यह निरंतर प्रशिक्षण और ई-समर्थन द्वारा पीआरआई को सुदृढ बनाने के माध्यम से भारत का बदलता स्वरूप (टीआईएसपीआरआई) परियोजना के तहत मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों (एमआरपी) के अभिमुखीकरण और मूल्यांकन कार्यक्रम पर आयोजित दूसरा टीओटी कार्यक्रम है। जम्मू - कश्मीर (जे एवं के) के मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर की पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रमाणित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुपवाड़ा और बारामुला जिलों के अधिकारियों के लिए दो बैचों में कार्यक्रम को कवर किया गया। दोनों जिले के प्रतिभागी खंड विकास अधिकारी, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, पंचायत निरीक्षक, पंचायत सचिव और एमपीडब्ल्यू थे। प्रोफेसर मुस्ताक अहमद, निदेशक प्रशिक्षण (के), आईएमपीएआरडी, जम्मू -कश्मीर द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कुपवाड़ा और बारामुला जिलों से क्रमशः 36 और 43 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

कार्यक्रम के पहले दो दिनों में, प्रत्येक बैच के लिए विभिन्न विषयों जैसे कि राज्य पीआर अधिनियम और नियम (जे एवं के पीआरआई अधिनियम) को समझना, सभी स्तरों पर ईआर की भूमिका और

जिम्मेदारियां, पंचायत प्रबंधन, स्व-स्रोत राजस्व सृजन, कमजोर समूहों, महिलाओं, बच्चों, पीडब्ल्यूडी, बुजुर्गों के लिए अधिनियम, प्लैगशिप केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य योजनाएं, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही, नेतृत्व विकास, जीपीडीपी का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना और ई-पंचायत (पीईएस) पर एक विषयगत सत्र आयोजित किया गया। एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद, आईएमपीएआरडी, जम्मू-कश्मीर के संकायों और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान-सह-चर्चा के विचारशील मिश्रण के माध्यम से उपरोक्त चयनित विषयगत क्षेत्रों पर बड़े संदर्भ में तकनीकी सत्र चलाए गए।

डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक, सहायक प्रोफेसर एवं कार्यक्रम समन्वयक, एनआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण प्रबंधकों की टीम जिसमें डॉ. रिम्की पाटगिरी और डॉ. दंबरधर गर्दा शामिल हैं द्वारा भारत परियोजना, मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों का प्रमाणीकरण और मॉड्यूल/ इकाईयों जो स्त्रोत व्यक्तियों के ज्ञान/ कौशल आवश्यकताओं का हिस्सा बनता है, के बारे में जानकारी, विषयगत क्षेत्रवार समूहों का मूल्यांकन ढांचा तैयार करना के अवलोकन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके अलावा, डॉ. मोहम्मद अशरफ, संकाय, सीआरडीपीआर, आईएमपीएआरडी ने पंचायत शासन पर एक सत्र चलाया। उन्होंने राज्य पीआर अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों, और निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पीआर अधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों;

और ग्राम सभा की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), (केंद्रीय दिशानिर्देश) पर दूसरा सत्र लिया गया। डॉ. शफिया वानी, संकाय, आईएमपीएआरडी द्वारा विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं (प्रमुख सीएसएस और राज्य योजनाओं) पर तीसरा सत्र लिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन का आरंभ श्री मलिक मोहम्मद इश्फाक, राज्य मास्टर स्त्रोत व्यक्ति, पीईएस द्वारा पंचायत कार्यालय प्रबंधन पंचायत उद्यम सूट (पीईएस) सत्र से हुआ। इसके अलावा, श्री अब्दुल रशीद हारून, पूर्व वि.स/ सीएओ, आईएमपीएआरडी ने ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधनों (ग्राम पंचायत बजट, लेखा और लेखा परीक्षा) पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मुस्ताक अहमद, निदेशक प्रशिक्षण (के), आईएमपीएआरडी ने नेतृत्व कौशल पर अंतिम सत्र चलाया। एनआईआरडीपीआर टीम द्वारा विषय ज्ञान और अध्ययन उद्देश्यों के उपलब्धि का आकलन करने हेतु लिखित परीक्षा के साथ दूसरे दिन समाप्त हुआ।

तीसरे और चौथे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा बैच-वार में किया गया। श्री अज़ीज़ अहमद, एसडीएम, चदूरा, जम्मू-कश्मीर और श्रीमती स्मिता कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जनशिक्षा संस्थान, औरंगाबाद महाराष्ट्र द्वारा प्रथम बैच का मूल्यांकन किया गया। डॉ. सत्यप्रिया राउत, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद और एफ.ए. पीर, आईएसएस (पूर्व-आयुक्त, सचिव, ग्रामीण विकास, जम्मू-कश्मीर) द्वारा दूसरे बैच का मूल्यांकन किया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रों जैसे पंचायत राज अधिनियम, जम्मू-कश्मीर, हलका पंचायत, पंचायत प्रबंधन, आईसीटी, आदि पर प्रपत्र प्रस्तुत किए।

डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक और प्रो. मुस्ताक अहमद, निदेशक प्रशिक्षण (के), आईएमपीएआरडी द्वारा औपचारिक समापन सत्र और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण के साथ चार दिवसीय टीओटी समाप्त हुआ। डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक, सहायक प्रोफेसर, पंचायती राज केंद्र (सीपीआर), एनआईआरडीपीआर द्वारा कार्यक्रम का संयोजन किया गया।

एनआईआरडीपीआर ने प्रायोजक बैंकों की ओर से आरसेटी निदेशकों और नोडल अधिकारियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया



स्त्रोत व्यक्तियों के साथ आरसेटी के निदेशक और नोडल अधिकारी (सामने की पंक्ति; बाएं से दाएं) - श्री लिंगन्ना, निदेशक, राष्ट्रीय आरसेटी उत्कृष्टता केन्द्र (एनएसीईआर), बेंगलुरु, श्री मयंक भारद्वाज, वरिष्ठ मिशन अधिकारी, एमओआरडी, श्री संजय कुमार, अवर सचिव, एमओआरडी, श्री पी. संतोष राष्ट्रीय निदेशक, एनएसीईआर, श्रीमती पी. चम्पाकवल्ली, परियोजना निदेशक, आरसेटी परियोजना, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद, श्री आर.आर. सिंह महानिदेशक, आरसेटी हेतु राष्ट्रीय अकादमी (एनएआर), बेंगलुरु, श्री सत्यनारायण, निदेशक, एनएसीईआर

एनआईआरडीपीआर की आरसेटी सेल ने आरसेटी निदेशकों और प्रायोजक बैंकों जो 10 से कम आरसेटियों को प्रायोजित कर रहे हैं के नोडल अधिकारियों के लिए दिनांक 28-29 जनवरी, 2019 को एनआईआरडीपीआर में सम्मेलन आयोजित किया। आरसेटी के प्रदर्शन की समीक्षा करने और आरसेटी निदेशकों और नोडल अधिकारियों को उनके भविष्य के पाठ्यक्रम में एमओआरडी, भारत सरकार के उद्देश्यों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 12 विभिन्न बैंकों यथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, बिदर डीसीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और मेघालय ग्रामीण बैंक के 24 आरसेटी निदेशक और 4 नोडल अधिकारी सम्मेलन में भाग लिया। भारत में फैले विभिन्न राज्यों यथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा, असम एवं मेघालय जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्रतिभागी कार्यक्रम में भाग लिया।

सम्मेलन में सहभागी स्त्रोत व्यक्ति इस प्रकार हैं:

1. श्री संजय कुमार, अवर सचिव और श्री मयंक भारद्वाज, एमओआरडी, भारत सरकार, नई दिल्ली

के वरिष्ठ मिशन कार्यकारी। उन्होंने प्रतिभागियों को एमओआरडी, भारत सरकार की अपेक्षाओं के बारे में बताया।

2. श्री पी. संतोष, राष्ट्रीय आरसेटी उत्कृष्टता केन्द्र (एनएसीईआर), बेंगलुरु से आरसेटी के राष्ट्रीय निदेशक अपने दो अधिकारियों श्री बी. सत्यनारायण और श्री एम. लिंगन्ना की टीम के साथ। उन्होंने ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, संबंधित निपटान और आरसेटी के पिछले प्रशिक्षुओं के क्रेडिट संयोजन के क्षेत्रों में आरसेटी के प्रदर्शन की समीक्षा की।

3. श्री आर.आर. सिंह, महानिदेशक, आरसेटी राष्ट्रीय अकादमी (एनएआर), बेंगलुरु ने आरसेटी के लिए सीएनएन (आम मानदंड अधिसूचना) से संबंधित एमओआरडी के नवीनतम दिशानिर्देशों, आरसेटी के लिए, एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया), मूल्यांकन और प्रशिक्षुओं का प्रमाणन एवं आरसेटी के नाम बोर्ड और आरसेटी प्रशिक्षुओं के लिए वर्दी जैसे आरसेटी की ब्रांडिंग से संबंधित प्रथाओं को अपनाए जाने के अन्य महत्व के बारे में प्रतिभागियों को बताया।

4. श्रीमती पी. चम्पाकवल्ली, परियोजना निदेशक, आरसेटी परियोजना, एनआईआरडीपीआर ने आरसेटी भवन निर्माण परियोजना से संबंधित एमओआरडी के दिशानिर्देशों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने आरसेटी भवनों के निर्माण के लिए आरसेटी को जारी की गई एमओआरडी अनुदान सहायता

की स्थिति की भी समीक्षा की।

सम्मेलन के कार्यक्रम:

उद्घाटन सत्र के दौरान स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। श्रीमती पी. चंपकवल्ली द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन के पाठ्यक्रम दौरान, सभी आरसेटी निदेशक और नोडल अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अपने आरसेटी निष्पादन की प्रस्तुति की। उनके प्रदर्शनों की समीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा गहराई से की गई और आगामी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उनकी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करने के लिए आरसेटी निदेशकों को बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

इस सम्मेलन से प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अन्य आरसेटीs में उनके समकक्षों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को जानने का अच्छा अवसर मिला।

सम्मानित कार्य

पूरे सम्मेलन का सबसे उल्लेखनीय पहलू आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपनाई गई बेहतर पद्धतियाँ थी, जिसका विशेष उल्लेख अनिवार्य रहा है। सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य बैंकों के



श्री पी. संतोष, राष्ट्रीय आरसेटी उत्कृष्टता राष्ट्रीय केन्द्र के निदेशक, बेंगलुरु को स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए श्री एम.डी. खान, वरिष्ठ सलाहकार, आरटीपी, एनआईआरडीपीआर

निष्पादन की तुलना में आईसीआईसीआई बैंक का निपटान और क्रेडिट संयोजन अनुपात अधिक रहा है। परियोजना निदेशक, एनआईआरडीपीआर ने विशेष रूप से आईसीआईसीआई बैंक के प्रयासों और उनकी सर्वोत्तम पद्धतियों की सराहना की और अन्य आरसेटियों को भी बेहतर निष्पादन के लिए उन पद्धतियों को अपनाने की सुझाव दिया।

श्री एम.डी. खान, सलाहकार, ग्रामीण प्रौद्योगिकी

पार्क, एनआईआरडीपीआर, ने समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने प्रतिभागियों को आर टी पी पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया, और उनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उपलब्ध सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने का सुझाव दिया। वे चाहते थे कि प्रतिभागी उनके जिलों में संभावित और जरूरतमंद ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की पहचान करें और उन्हें स्वरोजगार / मजदूरी रोजगार अवसरों के लिए आरटीपी में

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।

फीडबैक

फीडबैक सत्र के दौरान, प्रतिभागियों ने व्यक्त किया कि कार्यक्रम अनुसूची को अच्छी तरह से डिजाइन और अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। वे इस तथ्य के लिए एनआईआरडीपीआर के शुक्रगुजार थे कि आरसेटियों के कामकाज से संबंधित सभी शीर्ष अधिकारी जैसे कि एनएसीआईआर (आरसेटियों हेतु राष्ट्रीय केन्द्र) के राष्ट्रीय निदेशक, एनएआर (आरएसडीआई हेतु राष्ट्रीय अकादमी) और एमओआरडी के पदाधिकारी कामकाज और भविष्य की गतिविधियों में प्रतिभागियों की जानकारी, समीक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए स्तुत व्यक्तियों के रूप में सम्मेलन में भाग लिए।

श्रीमती पी. चंपकवल्ली, परियोजना निदेशक, आरसेटी परियोजना, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद और दल सदस्य श्रीमती अनुषा कीर्ति एडारा, परियोजना सहायक द्वारा सम्मेलन का संयोजन और आयोजन किया गया।

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट (मुद्रित सामग्री)

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

संपादक : डॉ. के पापम्मा
सहायक संपादक: कृष्णा राज
के.एस. विक्ट र पॉल

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473

ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाइट: www.nirdpr.org.in



प्रशिक्षण और
क्षमता निर्माण



अनुसंधान
और अनुप्रयोग
विकास



नीति प्रयोजन
और समर्थन



प्रौद्योगिकी
अंतरण



शैक्षणिक
कार्यक्रम



अभिनव कौशल
और आजीविका